

परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 20 जून 2016 पर आधारित है।



एशियाई विकास बैंक

भारत : स्थायी तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम – किश्त 2

परियोजना का नाम स्थायी तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम – किश्त 2

परियोजना संख्या 40156-033

देश भारत

परियोजना स्थिति अनुमोदित

परियोजना प्रकार/ सहायता की विधि ऋण

निधीयन का स्रोत/राशि ऋण: स्थायी तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम – परियोजना 2

साधारण पूंजी संसाधन यूएस डॉलर 65.50 मिलियन

रणनीतिक कार्यसूची पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास समावेशी आर्थिक विकास

परिवर्तन के प्रेरक ज्ञान समाधान निजी क्षेत्र विकास

सेक्टर/उप-सेक्टर कृषि और प्राकृतिक संसाधन – कृषि, प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण विकास

लैंगिक समानता और कुछ लैंगिक तत्व मुख्यधारीकरण

विवरण स्थायी तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम का उद्देश्य कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में कृत्रिम भित्ति, पुलिन पोषण तथा टिब्बा प्रबंधन जैसे मृदुतर विकल्पों पर फोकस के साथ पर्यावरण और सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त समाधानों के उपयोग द्वारा तात्कालिक तटीय संरक्षण जरूरतों और तटीय अस्थिरता पर ध्यान देना है। यह कार्यक्रम तटीय संरक्षण और प्रबंधन में निजी क्षेत्र तथा समुदायों की प्रतिभागिता बढ़ाने संबंधी पहलों के लिए भी सहायताप्रद है। किश्त 2 से नौ उपपरियोजनाओं को सहायता दी जाएगी जिनमें तटीय अपरदन की मध्यम से गंभीर समस्याओं के संबोधन हेतु डिजाइन की गई छह तटीय संरक्षण परियोजनाएं और न्यून अपरदन के क्षेत्रों हेतु तीन सामुदायिक उपपरियोजनाएं शामिल हैं, जिनके परिणामस्वरूप कर्नाटक में लगभग 54

किलोमीटर तटरेखा का संरक्षण किया जा सकेगा। गतिविधियों में शामिल होंगे : (i) तात्कालिक तटीय संरक्षण जरूरतों का संबोधन ; (ii) क्षमता निर्माण और संस्थानिक विकास ; (iii) तट के चुनिंदा खंडों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रतिरूपण तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य ; तथा (iv) चुनिंदा कर्नाटक पुलिनों के बालू अभाव के मुद्दों के आकलन के लिए डिजाइन किया गया व्यापक निकट तट समुद्र तल बालू संसाधन विश्लेषण। यह निष्पादक एजेंसी को तटीय योजना एवं प्रबंधन के विषय में दीर्घकालीन गतिविधियों पर मजबूत बनाने हेतु सहायता जारी रखेगा जो मध्य-2019 में परियोजना अवधि समाप्त होने के बाद जारी रहेगा।

परियोजना तर्कधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

तटीय अपरदन भूमि, मकानों, आधारसंरचना तथा व्यवसाय अवसरों को क्षति का जिम्मेदार है; तथा मानव कल्याण, आर्थिक विकास और पारिस्थितिकीय अक्षुण्णता के लिए उच्च जोखिम पैदा करता है। हर वर्ष, 400 हेक्टेयर भूमि, 75,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र और 34,000 आवासीय मकान तथा/अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठान तटीय अपरदन के कारण नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आगमी वर्षों में यह प्रभाव और भी अधिक व्यापक एवं विस्तृत होगा, क्योंकि तटरेखा पर आर्थिक विकास का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिनमें अनेक पहले से विक्षुल्य प्राकृतिक तटीय पर्यावरण के लिए प्रतिकूलता एवं दबाव पैदा करते हैं। ग्रामीण तटवर्ती समुदाय इस अपरदन और घटिया तटीय प्रबंधन के प्रभावों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तेजी से विकसित हो रहे कई भारतीय शहरी क्षेत्र भी तटीय अपरदन के प्रति सुभेद्य हैं; उदाहरण के लिए मुंबई इसकी प्रमुख तटवर्ती सम्पत्ति के कुछ अंश को बचाने मात्र के लिए बड़े कार्यों पर लगभग 2.5 मिलियन प्रति किलोमीटर की लागत वहन करती है।

भारत में तटीय संरक्षण रणनीति का लक्ष्य भूमि और समग्र आर्थिक विकास का संरक्षण करना है। पुलिन तथा पर्यावरण संरक्षण अपेक्षाकृत नई अवधारणाएं हैं। तटीय संरक्षण के लिए बहुधा अपनाई गई विधियों में कठोर संरचनाओं जैसेकि समुद्रीकूप अथवा पुलिन-रोध का उपयोग शामिल रहा है। तटीय अपरदन के प्रबंधन हेतु दीर्घकालीन योजनाएं उपलब्ध हैं। तथापि, संसाधनों की कमी के चलते उपायों का लक्ष्य अधिक सुभेद्य तट खण्डों तक तथा स्थानीय आपात उपायों तक सीमित रहता है। ऐसे हस्तक्षेपों से अधिकतर भूमि संरक्षण ही उपलब्ध होता है। समुद्रकूप तथा पुलिन-रोध अधिमानित उपाय बने हुए हैं, यद्यपि आवश्यक नहीं कि उनसे मूल समस्या संबोधित होती है। जबकि मानव-प्रेरित गतिविधियों के विस्तार तथा समुद्र तल में वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है, अतः तटीय संरक्षण के लिए स्थायी समाधान खोजने की सख्त जरूरत है।

विश्व भर में तटीय अपरदन जारी रहने के परिणामस्वरूप कारगर और अबाधित तटरेखा और निकट तट नियंत्रण के लिए नवप्रवर्तनकारी तकनीकों का विकास एवं संस्थापन किया जा रहा है। मृदुतर विकल्पों जैसेकि पुलिन पोषण, टिब्बा प्रबंधन अथवा कृत्रिम भित्ति द्वारा पारम्परिक कठोर चट्टान संरक्षण के प्रतिस्थापन अथवा संशोधन के उदाहरण बढ़ रहे हैं। यह निवेश कार्यक्रम पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त और स्थायी समाधानों पर फोकस के साथ मृदुतर समाधानों हेतु बदलाव सुकर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

तटीय प्रक्षेप से तटीय अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ अनेक हैं। तटीय अपरदन की रोकथाम और पुलिन संरक्षण तथा समीपवर्ती भूमि के संरक्षण के लिए किए जाने वाले हस्तक्षेपों से बंदरगाह परिचालक तथा उपयोगकर्ता, मत्स्यपालक, पर्यटन परिचालक, पुलिन उपयोगकर्ता, किसान और अन्य सम्पत्ति स्वामी तथा तट के निकट रहने वाले अथवा तट पर आश्रित स्थानीय समुदाय लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त, नई प्रौद्योगिकियों के प्रवेश और विकास के पर्यावरण तथा

सामाजिक प्रभाव चेटानी दीवारों, जो कि पारंपरिक समाधान हैं, के मुकाबले कमतर होंगे। जब समाधानों में कृत्रिम भित्तियों का निर्माण शामिल किया जाता है, तब पुलिनों, भूमि तथा पुलिनों के पीछे सम्पत्ति, पर्यटन तथा शिल्पी मात्रिकी को लाभ पहुंचता है क्योंकि भित्तियां मछलियों और अन्य समुद्री प्रजातियों को प्राकृतिक वास मुहैया कराती हैं। तटीय संरक्षण के लिए इन नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के फलस्वरूप न केवल तट संरक्षण का समाधान होता है अपितु प्रभावित क्षेत्रों के निकट रहने वाले समुदायों के लिए आय बढ़ाने के अवसर बढ़ते हैं।

प्रभाव कर्नाटक के उपपरियोजना क्षेत्रों में स्थायी तटीय संरक्षण।

परिणाम कर्नाटक में तटरेखा के संरक्षण तथा प्रबंधन में सुधार।

आउटपुट्स तटीय अपरदन तथा अस्थिरता में कमी।

एकीकृत तटरेखा योजना तथा विकास हेतु क्षमता में बढ़ोतरी।

भौगोलिक अवस्थिति

संरक्षा संवर्ग

पर्यावरण

ख

अस्वैच्छिक पुनर्वास

ग

स्वदेशी लोग

ग

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण पहलू परियोजना 2, एडीबी एसपीएस 2009 के अनुसार, पर्यावरण हेतु ख परियोजना संवर्ग में रखी गई थी। आरंभिक पर्यावरण परीक्षा (आईईई) तथा इसकी पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी), जिसमें अनुवीक्षण योजना शामिल है, परियोजना तैयारी के दौरान तैयार की गई थी। आईईई रिपोर्ट की सिफारिशें एसईए के माध्यम से कार्यान्वयित करना सरकार का दायित्व है। एडीबी एसपीएस 2009 के अनुपालन की सुविधा की अपेक्षा के संबंध में, सरकार ने राज्य निष्पादक अभिकरण के माध्यम से निम्नलिखित सुरक्षोपाय संरचना दस्तावेज अद्यतन किए हैं तथा एडीबी को उपलब्ध कराए हैं : (i) पर्यावरण आकलन और समीक्षा ढांचा (ईएआरएफ) ; (ii) पुनर्वास ढांचा (आरएफ); तथा (iii) स्वदेशी लोग योजना ढांचा (आईपीपीएफ)।

अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रस्तावित परियोजना 2 में एसपीएस, 2009 द्वारा स्वदेशी लोगों द्वारा दावा किए गए कोई क्षेत्र अथवा प्रभावित क्षेत्र शामिल नहीं होंगे। गरीबी तथा सामाजिक अध्ययन भी दर्शाता है कि परियोजना क्षेत्रों में कोई स्वदेशी लोग अथवा अनुसूचित जनजातियां मौजूद नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित परियोजना 2 के लिए किसी भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। मिशन पुष्टि करता है कि परियोजना 2, दोनों सामाजिक सुरक्षोपायों के लिए : अस्वैच्छिक पुनर्वास (आईआर) तथा स्वदेशी लोगों पर प्रभाव (आईपी) के लिए एडीबी एसपीएस 2009 के अनुसार संवर्ग ग में रखी जाए।

स्वदेशी लोग

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान फरवरी, 2013 और दिसम्बर, 2014 के बीच, किंशत 2 संरचनाओं के डिजाइन पहलू के संबंध में लोक परामर्श, तीन विशिष्ट हितधारकों के साथ निष्पादित किया गया था नामतः (i) समुदाय ; (ii) ग्राम पंचायतें (जीपीज) ; तथा (iii) जिला पदाधिकारीगण। आरंभिक परामर्श बैठकों समुदाय स्तर पर प्रस्तावित परियोजना स्थलों पर या उसके निकट आयोजित की गई थीं। इसमें तटीय अपरदन स्थिति और प्रस्तावित तकनीकी डिजाइन पर स्थानीय भाषा में प्रस्तुतियां शामिल थीं। स्थानीय भाषा में मुद्रित विवरणिका भी वितरित की गई थी। सामुदायिक स्तर पर प्रतिभागियों में मत्स्य-पालक, मछली विक्रेता, किसान, छोटे व्यापारी, युवा मंडलों तथा प्रार्थना हॉल्स के सदस्य शामिल थे।

इसके उपरान्त ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्वाचित सभा सदस्यों तथा पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। ग्राम पंचायतें समस्त उप-परियोजना परामर्शों के लिए अभिसरण सूत्र मानी गई। कुछ प्रख्यात नागरिक जैसेकि मत्स्यपालन संघ के पदाधिकारी, सेवानिवृत्त स्कूल अध्यापक, भूतपूर्व वार्ड सदस्य भी इन बैठकों में आमंत्रित किए गए थे। तदुपरान्त जिला कलक्टर द्वारा एक आम बैठक (कभी कभी दो या अधिक) आयोजित की गई। ये बैठकें आमतौर पर बड़ी थीं तथा प्रत्येक बैठक में 50 से 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इन बैठकों में भाग लेने वालों में विभागीय पदाधिकारी, राजनीतिक प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल थे।

ऐसी प्रत्येक बैठक के अंत में, टीम द्वारा हितधारकों की चिन्ताएं तथा डिजाइन के संबंध में आशंकाओं की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई। इस प्रकार प्राप्त होने वाले सुझाव, जहां व्यावहारिक था, अंतिम डिजाइन में शामिल किए गए।

परियोजना
कार्यान्वयन के
दौरान

व्यवसाय के अवसर

परामर्शी सेवाएं tbd

आधिप्राप्ति tbd

जिम्मेदार स्टाफ

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी विदिशा समरशेखर

जिम्मेदार एडीबी विभाग दक्षिण एशिया विभाग

जिम्मेदार एडीबी प्रभाग पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं कृषि प्रभाग, एसएआरडी

निष्पादक अभिकरण

पब्लिक वर्कस, पोर्ट्स एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट
तृतीय तल, विकासा सौधा
बैंगलोर-560 001
कर्नाटक, भारत

समयसारणी

अवधारणा मंजूरी

तथ्य अन्वेषण

एमआरएम

अनुमोदन

05 अक्टूबर 2016

अंतिम पुनरीक्षा मिशन

अंतिम पीडीएस अद्यतन

09 अक्टूबर 2015

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई है: क्योंकि पीडीएस प्रगति-में-कार्य होता है, इसके आरंभिक पाठ में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।